

7-2020 पत्रावली दिनांक 14-7-2020 को वकील प्रतिवादी
 क्रम 3 द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर
 पेश हुई वकील प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा वादी
 का मूल्य प्रमाण-पत्र भी पेश किया।
 वकील वादी ने वादी की मूल्य होना
 स्वीकार किया तथा वादी के वारिसों की
 सूची पेश करने के लिए कहा आज दिनांक
 21-7-2020 को अधिवक्ता उभयपक्ष पेश हुई
 वकील वादी द्वारा वादी के वारिसों की सूची
 पेश नहीं की और यह निवेदन किया कि
 देने वादी के वारिसान को मोबाइल पे
 सूचना कर दी है लेकिन वादी के
 वारिसान जाने से बना कर रहे हैं और
 यह निवेदन किया कि मैं इस बाद को
 आगे नहीं चलाना चाहता हूँ वकील वादी
 द्वारा वकील प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा प्रस्तुत
 प्रार्थना-पत्र जिसको पढ़ने के बाद स्वीकार
 किया तथा दवे को खारिज करने का
 निवेदन किया।

noted
 सुष्मकुमार
 21-7-20

अभ्यर्थकों की वृत्त सुनने के पश्चात्
 न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि
 वादी की मूल्य पश्चात् वकील वादी का वकालतनामा
 वादी की मूल्य के साथ ही समाप्त हो जाता
 है अतः वाद खारिज करना विधि सम्मत नहीं
 है अतः वाद खारिज किया जाता है एक
 सं. पश/2009 प्रा. पत्र भी दिनांक 27-7-2011 को
 हो चुका है।
 निर्णय आज दिनांक 21-7-2020 को सुने न्यायालय में सुनाया गया।